न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र : R-1993-PBR/14

परवेश चौरसिया आयु वयस्क
आत्मज श्री कोमल प्रसाद चौरसिया,
निवासी देवरी, तहसील उदयपुरा,
ज़िला रायसेन .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

कैलाश कुमार मेहरा आयु वयस्क
आत्मज श्री छिदामीलाल मेहरा,
निवासी देवरी, तहसील उदयपुरा,
ज़िला रायसेन .... **प्रति प्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2014, जो प्रकरण क्र. 1926/प्रवा–1/14 में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील बरेली, ज़िला रायसेन द्वारा पारित किया गया ।

श्री नीरज श्रीवास्तव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1993–पीबीआर / 2014 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 18–6–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी स्थगन को समाप्त किया गया है । आवेदक की ओर से केवल यह कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन समाप्त करने से अनावेदक मकान निर्माण कर लेगा, और उसके द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर अतिक्रमण कर रास्ता रोका गया है, परन्तु मकान निर्माण कर रास्ता रोके जाने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त यदि अनावेदक मकान निर्माण करता है, तब वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्थगन की मांग कर सकता है । यदि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं है, और उसके द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर अतिक्रमण किया गया है, तो वह इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करें, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को स्वत्व के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–6–2014 प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	